

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)

(19)
Ghoshie
20/3/14
2:05 PM

नामनिर्देशन-पत्र
लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम

..... उसका डाक पता

..... उसका नाम शुन्ध संसदीय निर्वाचन क्षेत्र {में समाविष्ट
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो संसदीय
निर्वाचन क्षेत्र {में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं०
में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए 40-जमुई (श.जा.) संसदीय निर्वाचन
क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम विनोद कुमार दास

पिता/माता/पति का नाम शोपाल रविदास

उसका डाक पता ग्राम-रामदासपुर, पोस्ट-केशोपुर, जिला-जमुई, पिन-811305 (बिहार)

उसका नाम विनोद कुमार दास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र * (में समाविष्ट 242-बिहार) विधान
सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 180 में क्रम सं० 606 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम
उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम
इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विषष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	मामा	180	374	पवन रविदास	Pawan Ravidas	20/3/14
2	मामा	180	602	भोला रविदास	भोला रविदास	20/3/14
3	मामा	180	658	नारायण दास	नारायण दास	20/3/2014
4	मामा	180	692	पिन्टु कुमार	पिन्टु दास	20/3/2014
5	मामा	180	726	फुलेश्वर रविदास	फुलेश्वर रविदास	20/3/14
6	मामा	180	744	राजेन्द्र दास	राजेन्द्र दास	20/3/2014
7	मामा	180	254	गणेश दास	गणेशदास	20/3/14
8	मामा	180	681	शंभु रविदास	शंभु रविदास	20/3/2014
9	मामा	180	47	संजय कुमार सिंह	संजय कुमार सिंह	20/3/14
10	मामा	34	188	दिवाकर सिंह	दिवाकर सिंह	20/3/14

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग- 3

मैं भूम-4 / भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 34 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में शुन्य दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में आम आदमी पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है । मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने है वे अधिमान क्रम में (i) भाड़ू (ii) (iii) है ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ~~अनुसूचित~~ जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो बिहार राज्य के उस राज्य में के ~~सम्पूर्ण~~ (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ~~चमार~~ (मोची) ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/सम-निर्वाचनों में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 20/03/2014

विनोद कुमार दास
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन,) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग- 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है : या

हैं/नहीं

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक शून्य
- (ii) पुलिस थाना (थाने) शून्य
जिला (जिले) शून्य
राज्य शून्य
- (iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था शून्य
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) शून्य
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था शून्य
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें
..... शून्य
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) शून्य

- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ / नहीं शून्य
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टताएं :- शून्य
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- शून्य
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित है शून्य
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शून्य
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति शून्य

स्थान :- जमुई

तारीख :- 20/03/2014

विनोद कुमार दाल
 (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग- 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- 19 यह नामनिर्देशन मुझे / मेरे कार्यालय में 20.03.2014 तारीख, को 2.05.11 बजे, *अभ्यर्थी / प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 20.03.2014

विनोद कुमार दाल
 (रिटर्निंग आफिसर)
20/3/14
 40-जमुई (बो. जा. 10)

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।

लोक समा निर्वाचन क्षेत्र
 सह
 बिछा पदाधिकारी, जमुई

भाग- 5

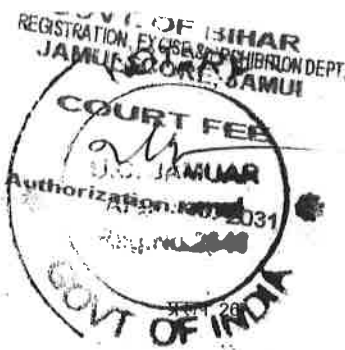
नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर)

(छिद्रण)



STAMP DUTY

00000

Rs. ≈ 0000020 ≈

374140

Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*TwoZero**

बिहार
JUDICIAL

20.3.2014

BIHAR

9691 782770

(नियम 4क देखिए)



L. Mesh Chandra Janyar
Notary Janyar (Bihar)

40- जमुई (म.जा.) संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

20.3.2014 लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग - क

मैं, बिनोद कुमार दास ** पुत्र/पुत्री/पत्नी गोपाल रविदास आयु 34 वर्ष, जो
ग्राम-रामदासपुर, पो-केशोपुर, थाना-कान्हा, जिला-जमुई, पिन-811305 (बिहार)
(डॉक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से
प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं ग्राम आदमी पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा

किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 242- 881881 (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 180 के कम सं. 606
पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 8226862355 है/ हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) binodkumard2012@gmail.com
है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति: ALGPD39936, शून्य

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)
1-	स्वयं	ALGPD 39936	शून्य	शून्य
	पति/या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
	आश्रित - 1	शून्य	शून्य	शून्य
	आश्रित - 2	शून्य	शून्य	शून्य
	आश्रित - 3.....	शून्य	शून्य	शून्य

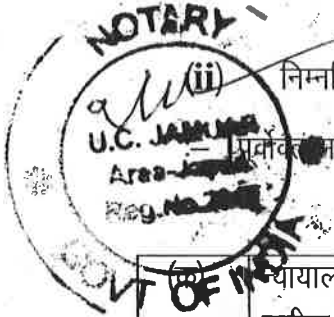
(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। शून्य

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :- शून्य

(1) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। शून्य

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य

(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य
-----	--	-------



(ii)	निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-	
(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	न्यायिक दंडाधिकारी पुष्पम श्रीवा, पटना केस नं. 5/2014, 5/1/2014
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	44-8, 353, 504, 506 एवं 109/83 में जारी की की कुठगी-कोपडी हथाने के विरोध में आंदोलन करना (संज्ञाव नहीं)
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/ आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है : शून्य

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है । यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे मन्त्रि/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :



टिप्पणी:-

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

2. जंगम विनिधान की दिशा में कम सं०, रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

3. सूचीबद्ध-कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/षेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

4. यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्र.सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	52000/-	30000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	अनुलग्नक 'ए' पर विवरणी वर्णित है				
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ षेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/ वायुयान/ याट/ पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	मेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोने की अंगूठी 2.5 ग्राम 7500/-	रत्न आभूषण 50 ग्राम 1,50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	ई : अन्य आस्तियां जैसे कि निर्वो/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	59500/-	1,80,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी:-

- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।
- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर-कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
J.C. JAMNAR
Area-Jammu
9.10.2016
GOVT OF INDIA

	संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय संपत्ति की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- (8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को षोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं :-
(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या षोध्य बैंक या वित्तिय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या षोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी षोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आयकर षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय कर षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी षोध्य का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

क. स्वयं पिता पर आश्रित, समाजसेवी

ख. पति या पत्नी शुद्धिणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :

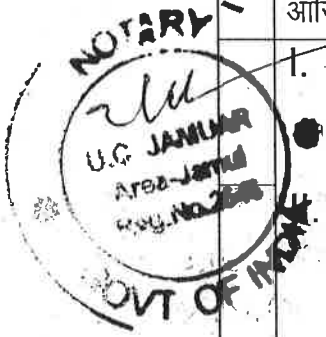
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विष्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विष्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें) अनुलग्नक 'बी' में संलग्न

भाग-ख

क के (1) से (10) में तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु	विनोद कुमार दास
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम-रामदासपुर, पो-केशोपुर, जिला-जमुई	
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	40-जमुई (अ.जा.), बिहार	
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	ग्राम आदमी पार्टी	
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य	
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य	
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य	
		शून्य	
		शून्य	
		शून्य	
7.	का स्थायी लेखा सं० यूनियन बैंक, जमुई A/c No. 37280201097045	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	विनोद कुमार दास	ALGPD39936
	(ख) मंति या पत्नी	रीना रानी	शून्य
		शून्य	शून्य
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)	शून्य	

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III.	की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व					
	(i) सरकारी षोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी षोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	उच्चतम शैक्षिक अर्हता:	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।) अनुलग्नक 'बी' में संलग्न				

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख.....

Sri/Smt. Benoit Rajan को सत्यापित किया

Who is identified by me.

Advocate

before me

Chandra Jamuar
Notary, Jamui (Bihar)

विनोद कुमार दास

अभिसाक्षी

I identify the defendant who has signed in my presence

Rajiv Ramjan Singh

Ex-162/95

Jamui

- नोट:- 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

नोट 5 : अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं० 121-रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक

13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट 6 : शपथ-पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए:-

"मेरा टेलीफोन नं० 8226862355 है/हैं,
मेरा ईमेल आई डी (यदि कोई हो) binodKumard2012@gmail.com है,
और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) facebook.com/netag.binoddas.3 है।"

अनुलग्नक -ए

क्र०स०	निवेशक	बैंक का नाम	बचत खाता	जमा राशि
1.	स्वयं	स्टेट बैंक आफ इंडिया गुडगाँव	30331723894	9000 रु०
2.	स्वयं	बैंक आफ इंडिया गिद्धौर	582110110001085	3000 रु०
3	स्वयं	युनियन बैंक जमुई	372802010997045	1100 रु०
			कुल	13,100 रु०

कुल तेरह हजार एक सौ रु० मात्र

विनोद कुमार शर्मा

20/03/2014

अनुलग्नक- बी

शैक्षणिक अर्हता का विवरण

क्र०स०	उत्तीर्ण परीक्षा	विद्यालय/महाविद्यालय	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष
1.	मैट्रिक	कुमार हरिशंकर विजय उच्च विद्यालय केशोपुर	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना	1999
2.	इण्टरमिडिएट	सरस्वती अर्जुन एकलव्य कालेज जमुई	बिहार इण्टरमिडिएट शिक्षा परिषद पटना	2007

विनोद कुमार झा

20/03/2014